GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MIN.

B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

No.F.5 (4)/2019-20/DSCST/PG/VSQ-U176/ 10910-13 Dated: 23/8/19

To

The Deputy Secretary (Question Branch),
Govt. of NCT of Delhi,
Delhi Vidhan Sabha Sachivalya,
Old Secretariat, Delhi-110054

Sub: - Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 176 raised by Sh. Surender Singh for 26/08/2019.

Sir,

With reference to your letter no. F.11 (B-1)VI/2015-20/V.S.S/Question Branch/2315, dated 16/08/2019 on the subject cited above. In this regard, I am directed to enclose herewith the reply of the above said Question (100 Copies and soft copy in pdf file) for your kind information and necessary action at your end.

Yours faithfully,

Encl:- As above

Deputy Director (DSCST)

No.F.5 (4)/2019-20/DSCST/PG/VSQ-U176/ 10910-13 Dated: 23/8/19

Copy for information to:-

1. The Director, Information & Publicity Department, Govt. of NCT of Delhi, Block-IX, Old Secretariat, Delhi-110054 (enclosed herewith 150 Copies of reply of the above Question).
2. Secretary to Minister, Office of the Minister, Social Welfare SC/ST, 7th Floor, Delhi Secretariat, Delhi-110054.
3. PS to Secretary, DSCST.

Deputy Director (DSCST)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या – 176
दिनांक – 26 अगस्त 2019
प्रश्नकर्ता – श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत झरेडा गाँव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति विभाग के माध्यम से चौपाल बनवाने के कार्य को मंजूरी दी गयी है;	जी हाँ।
ख)	यदि हाँ, तो कब और कैसे, सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें;	विभाग द्वारा दिल्ली केंट विधानसभा क्षेत्र के झरेडा गाँव में मौजूद हरिजन चौपाल को तोडकर तथा उसके पुर्ननिर्माण करने के लिए वर्ष 2015–16 में प्रपत्र सं0 एफ 3(13)/ 2014–15/ डीएससीएसटी / IMPL/ 759–792, दिनांक 21/01/2016 के द्वारा 42.77/– लाख रुपये की राशि की स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार को दी गयी थी।
ग)	क्या यह सत्य है कि झरेडा ग्राम की चौपाल का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है;	जी नही।
घ)	यदि नही तो किसके आदेश पर विकास कार्य को रोका गया, संपूर्ण जानकारी प्रदान करें;	कार्यकारी एजेंसी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार झरेडा गांव के स्थानीय निवासियों ने कार्य को आरम्भ करने से मना कर दिया था। इस संबंध में विभाग को 'जाटव समाज कल्याण परिषद से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे उन्होंने कहा कि मौजूदा चौपाल उनके पुरखों ने बहुत समय पहले बनायी थी तथा यह चौपाल हमारी सामाजिक विरासत है और इससे हमारी सामाजिक भावनाएं जुडी हुई है इस चौपाल का निर्माण कार्य हम पहले ही आरम्भ कर चुके है इसलिए आप अपने कर्मचारियों को चौपाल के निर्माण कार्य में बाधा न डालने के लिए निर्देशित करें।

P.T.O.

MAHENDRA PAL
Deputy Director
Deptt. for the Welfare of SC/ST/OBC
Vikas Bhawan, New Delhi

ड)	क्या यह सत्य है कि किसी विभाग में कर्मचारीयों (ठेकेदार के कर्मचारीयों) से निर्धारित कार्य अवधि (समय–सीमा) से अधिक कार्य करवाया जाता है;	इस विभाग द्वारा ठेकेदार के कर्मचारियों से निर्धारित कार्य अवधि से अधिक कार्य नही कराया जाता है।
च)	यदि हाँ, तो प्रति घंटा कार्य करवाने के बाद अतिरिक्त वेतन दिया जाता है; सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए;	उपरोक्त उत्तर संख्या 'ड' के संदर्भ में लागू नही होता है।
छ)	चौपाल संबंधी विकास कार्य के लिए किसके आग्रह पर अनुमानित लागत राशि जारी की गयी;	विभाग द्वारा झरेडा गांव की अनुसूचित जाति की चौपाल को बनवाने की स्वीकृति माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह, दिल्ली केंट की अनुशंसा पर की गयी थी।
ज)	कब एवं कितनी–कितनी राशि किस विभाग को जारी की गयी, ब्यौरा दें;	विभाग द्वारा रु 42.77/– लाख की स्वीकृति चौपाल के निर्माण के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दी गयी थी। हांलांकि स्थानीय नागरिको की आपसी सहमति न बनने के कारण यह धनराशि खर्च नही की जा सकी है।
झ)	विभाग को राशि जारी होने के बाद विकास कार्य में विलम्ब होने पर विभाग द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई की गयी; और	इस संदर्भ में विभाग द्वारा कोई भी कानूनी कार्यवाही नही की गई है। विभाग द्वारा सामान्यतः अनुसूचित जाति से संबंधित स्थानीय नागरिको की सहमति से ही विकास कार्य कराये जाते है।
ञ)	सरकार के संज्ञान में इस प्रकार विभागों, ठेकेदारों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कितने केस दर्ज किए गए; उन सभी की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएं?	इस विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों का कार्यान्वयन कार्यकारी एजेंसियॉ सीपीडब्लूडी मेन्युअल के प्रावधानों के तहत कराती है। यदि ठेकेदारों के द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के कार्य में विलम्ब किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यकारी एजेंसियॉ सीपीडब्लूडी मैन्युअल के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करती है। इस विभाग द्वारा किसी कार्यकारी एजेंसी अथवा ठेकेदार के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं किया गया है।

(उप–निदेशक)
डीएससीएसटी
MAHENDRA PAL
Deputy Director
Deptt. for the Welfare of SC/ST/OBC
Vikas Bhawan, New Delhi